

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), उदयपुर

क्रमांक: Oc22302

दिनांक: 16/10/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREU/UDA0007324

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिरक्षा सहित प्राप्त निम्न आधी तृफान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आधी तृफान से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/UDAI/2023/073323	नाम: Reshmaपिता का नाम: Shyam Manoharजिला: उदयपुर	Ward no. 58, श्रीनाथ जी मंदिर खेरादिवाड़ा बाई नंबर 58 उदयपुर, निर्वा, शहर -उदयपुर,	26/06/2023	आधी तृफान	शासन सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन पत्रांक 4939 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार तहसीलदार के पत्रांक 150 दिनांक 01.09.2023 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई है कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई है। अतः सहायता स्वीकृत की जाती है।	400000
योग							400000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-111-(02)-1011-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
उदयपुर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिनिधि -विम्बान्कितों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, उदयपुर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय राजा


(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
उदयपुर